मेरा गाँव, मेरी धरोहर कार्यक्रम

प्रिलिम्स के लिये:

मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission on Cultural Mapping - NMCM) , कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता की योजना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

मेन्स के लिये:

भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियाँ, मेरा गाँव मेरा धरोहर का महत्त्व, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन।

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने मेरा गाँव मेरी धरोहर (Mera Gaon, Meri Dharohar - MGMD) कार्यक्रम के तहत सभी गाँवों का मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण करने का निर्णय लिया है।

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय गाँवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना तथा इसे आभासी तथा वास्तविक समय के आगंतुकों (visitors) के लिये उपलब्ध कराना है।
- **संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता की एक योजना भी लागू** कर रहा है जिसमें 8 घटक शामिल हैं जिसके माध्यम से **सांस्कृतिक संगठनों को कला तथा संस्कृति को बढ़ावा** देने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम क्या है?

- सांस्कृतिक मानचित्रण पर यह राष्ट्रीय मिशन **संस्कृति मंत्रालय** के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts -IGNCA) के समन्वय से संचालित किया जाता है।
  - MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। MGMD कार्यक्रम**भारतीय गाँवों के जीवन, इतिहास तथा लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करने एवं इसे आभासी व वास्तविक समय के आगंतुकों के लिये उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।**
- **MGMD के तहत, सात व्यापक श्रेणियों के तहत जानकारी एकत्र की जाती है:**
  - कला एवं शिल्प गाँव
  - पारिस्थितिकीय दृष्टि से उन्मुख गाँव
  - भारत की पाठ्य एवं शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा स्कोलास्टिक गाँव
  - रामायण, महाभारत और/या पौराणिक कथाओं तथा मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा महाकाव्य गाँव
  - स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गाँव
  - वास्तुकला विरासत गाँव
  - कोई अन्य विशेषता जिसे उजागर करने की आवश्यकता हो जैसे मछली पकड़ने वाला गाँव, बागवानी गाँव, चरवाहा गाँव आदि।
- MGMD राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission on Cultural Mapping - NMCM) का एक घटक है, जिसे **आजादी का अमृत महोत्सव** के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।
- MGMD के तहत **6.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा रहा है और 2 लाख से अधिक गाँवों** का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है तथा मिशन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है जो **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल** के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) क्या है?

- **परिचय:**
  - संस्कृति मंत्रालय ने **भारत की** समृद्ध **सांस्कृतिक विरासत** तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने एवं **ग्रामीण भारत को**

आत्मनिर्भर बनाने में इसकी रचनात्मक क्षमता **की पहचान करने व प्रलेखीकरण करने** के लिये NMCM की स्थापना की।
    - सांस्कृतिक मानचित्रण तीन स्तरों पर कार्य करता है:
        - कलाकारों की **राष्ट्रीय निर्देशिकाएँ** तथा सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित लोग।
        - कला अभिव्यक्ति तथा कलाकार समुदायों/परंपरा के वाहकों की **राष्ट्रीय डिजिटल सूची/रजिस्टर** का निर्माण।
        - **कला प्रथाओं के संरक्षण के लिये नीतियाँ विकसित करना** और साथ ही उनके अभ्यासकर्त्ताओं के लिये कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वन करना।
- **मिशन अधिदेश:**
    - व्यापक थल सर्वेक्षणों तथा प्रलेखीकरण की सहायता से सांस्कृतिक मानचित्रण के माध्यम से एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।
    - भावी पीढ़ियों के लिये इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को **संरक्षित, सुरक्षित, पुनर्जीवित तथा प्रसारित** करना।
    - डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा लोकसंपर्क गतिविधियों का माध्यम से पूरे देश में एक सुदृढ़ **"सांस्कृतिक जीवंतता"** का परिवेश विकसित करना।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना क्या है?

- यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों तथा संगठनों का समर्थन करना है। इस योजना में **8 घटक** शामिल हैं तथा प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य एवं वित्तपोषण आवंटन है।
- कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना में निम्नलिखित 8 घटक शामिल हैं:
    - **राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता:**
        - कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिये **राष्ट्रीय उपस्थिति वाले प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों** को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
        - यह अनुदान ऐसे संगठनों को प्रदान किया जाता है जो **अखिल भारतीय गुणों के साथ भारत में पंजीकृत** उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय हैं तथा जिनके पास पर्याप्त कार्य बल है एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु विगत 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों के दौरान 1 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की राशि का व्यय करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।
        - **अधिकतम अनुदान:** 1 करोड़ रुपए।
    - **कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट (CFPG):**
        - इसके तहत सेमिनारों, सम्मेलनों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, त्योहारों, प्रदर्शनियों तथा प्रस्तुतियों सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
        - **अधिकतम अनुदान:** 5 लाख से लेकर 20 लाख (विशिष्ट परिस्थितियों में) तक का अनुदान।
    - **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये वित्तीय सहायता:**
        - अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत** को बढ़ावा देना तथा उन्हें संरक्षित करना।
        - **वित्तीयन**: इस दिशा में कार्य करने वाले संगठन को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से लेकर 30 लाख (विशिष्ट परिस्थितियों में) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **बौद्ध/तिब्बती संगठन के संरक्षण एवं विकास के लिये वित्तीय सहायता:**
        - इस योजना के तहत बौद्ध/तिब्बती सांस्कृतिक और परंपरा के प्रचार-प्रसार तथा वैज्ञानिक विकास एवं संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे मठों सहित स्वैच्छिक **बौद्ध/तिब्बती संगठनों** को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
        - योजना घटक के अंतरगत वित्त पोषण की मात्रा एक संगठन के लिये प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए तक है, जिसे असाधारण मामलों में 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
    - **स्टूडियो थियेटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता:**
        - स्टूडियो थियेटर, ऑडिटोरियम, रिहर्सल हॉल आदि जैसे **सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे** के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
        - **अधिकतम अनुदान:** मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपए तक और गैर-मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपए तक।
    - **संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता:**
        - त्योहारों और प्रमुख आयोजनों के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये ऑडियो-विजुअल चश्मे (Audio-Visual Spectacles) को बढ़ाने हेतु संपत्ति बनाने में संगठनों का समर्थन करना।
        - **अधिकतम अनुदान:** ऑडियो:1 करोड़ रुपए, ऑडियो+वीडियो: 1.50 करोड़ रुपए।
    - **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये योजना:**
        - यह योजना भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं को पुनरोद्धार तथा प्रचार के माध्यम से **सुरक्षित रखने के लिये वर्ष 2013 में संस्कृति मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई थी।
    - **घरेलू उत्सव और मेले:**
        - इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' आयोजित करने में सहायता करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mera-gaon,-meri-dharohar-programme